

२१/५/२३ फतावली पेश हुई। सुनापा

करीमैन अनुपस्थित। मूल वाद अदम हाजरी-  
अदम पेंवी में खारिज किया गया है अतः शर्कीना  
की फता - २१२ R.T.A. का कोई औचित्य नहीं है।  
प्रार्थना-फता २१२ R.T.A. भी अदम हाजरी - अदम  
पेंवी में खारिज किया जाता है। फतावली नम्बर  
से कम है। वाद शर्की मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

सुनापा गया।

  
सहायक कलेक्टर  
बहरोड़ (अलवर) राज.